

झारखण्ड सरकार  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय  
सलाहकार से  
परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,  
सरकार के प्रधान सचिव।

राज्यांश

सेवा में,

महालेखाकार,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक २९/०१/२०२६

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA/PM-USHA) अंतर्गत विभिन्न अवयवों (Components) में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु SNA SPARSH प्रणाली के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्गत Mother Sanction में केन्द्रांश मद की राशि ₹ 5,52,00,000/- (पाँच करोड़ बावन लाख रुपये) मात्र के समानुपातिक राज्यांश मद से मैचिंग शेयर की राशि ₹ 3,68,00,000/- (तीन करोड़ अड़सठ लाख रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :-

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.702/IFD/HE/2025-26 (Jharkhand) MS2 दिनांक 16.12.2025

आदेश -

स्वीकृत।  
राज्य में उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास एवं गुणात्मक शिक्षा हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" संचालित है। इस योजना द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में Access, Equity & Quality प्राप्त किया जाना है।

2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.NO.1(27)PFMS/2020 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा झारखण्ड राज्य हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA/PM-USHA) में SNA SPARSH प्रणाली को लागू किया गया है।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3532/वि० दिनांक 21.12.2023 के द्वारा ई० कुबेर प्लेटफार्म, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Scheme, CSS) की राशि को Just in time पर जारी करने हेतु SNA SPARSH के रूप में समायोजित प्रणाली स्वीकृत शीघ्र हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया है।

4. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत राशि का व्यय केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के 60:40 की हिस्सेदारी से की जायेगी। इस निमित्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत केन्द्रांश मद में ₹ 51.86 करोड़ एवं राज्यांश मद में ₹ 57.22 करोड़ अर्थात् कुल ₹ 109.08 करोड़ का संशोधित बजटीय उपबंध है।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA/PM-USHA) अंतर्गत विभिन्न अवयवों (Components) में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु SNA SPARSH प्रणाली के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्गत Mother Sanction में केन्द्रांश मद की राशि ₹ 5,52,00,000/- (पाँच करोड़ बावन लाख रुपये) मात्र के समानुपातिक राज्यांश मद से मैचिंग शेयर की राशि ₹ 3,68,00,000/- (तीन करोड़ अड़सठ लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है -

| क्र० | SNA SPARSH प्रणाली अंतर्गत स्वीकृत राशि का वित्तीय लेन-देन की विवरणी  | SNA SPARSH प्रणाली अंतर्गत स्वीकृत राज्यांश की राशि | State Link Scheme का नाम एवं SLS Code | DDO का नाम एवं Code  |
|------|---|---|---------------------------------------|--|
| 1    | स्टेट नोडल एजेंसी रूसा (राज्य परियोजना निदेशालय) में संचालन कार्यालय व्यय हेतु एवं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों स्तर पर रूसा के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं के लिए समाग्रियों के क्रय से संबंधित लेन देन। | 1,31,15,361=00                                      | RUSA JH-37                            | श्री सुधीर कुमार, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DRNEDN046) |
| 2    | झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची (JSBCL) के द्वारा रूसा के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं के नये निर्माण एवं जिर्णोद्धार कार्य से संबंधित लेन देन।   | 2,36,84,639=00                                      | RUSA JH-37                            | श्री मनौवर आलम, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DRNSCT001)   |
|      | कुल योग -   | 3,68,00,000=00                                      |                                       |  |

6. राज्यांश के रूप में विमुक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 की केन्द्र प्रायोजित स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष -

(क) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203102790678)

(ख) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203789790678) एवं

(ग) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796790678) मद से किया जायेगा।

7. रूसा स्कीम के लिए भवन निर्माण से संबंधित सभी कार्यों की जिम्मेवारी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की होगी तथा Procurement से संबंधित कार्रवाई राज्य परियोजना निदेशालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

8. स्वीकृत राशि का व्यय JSHEC के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्री सुधीर कुमार, अवर सचिव (उच्च शिक्षा) (DRNEDN046 ) एवं श्री मनोवर आलम, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNSCT001) होंगे, जो संबंधित State Link Scheme के Drawing account से राशि की निकासी करेंगे।

10. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी-

| स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि | निकासी की गई राशि | प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| -                             | -                 | -                                    |

12. सम्पूर्ण योजना का कार्यान्वयन RUSA के मार्गदर्शिका, भारत सरकार, राज्य सरकार तथा JSHEC के निर्देशानुसार एवं समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के आलोक में किया जाएगा। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य परियोजना निदेशक RUSA की पूर्ण रूप से जिम्मेवारी होगी।

13. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को निदेशित किया जाता है कि उक्त राशि का निकासी हेतु विपत्र (Fully Vouched Claim Bill) तैयार करने के पूर्व अपने स्तर से PWD Code एवं GFR के सुसंगत नियमों के आलोक में संतुष्ट होने के पश्चात् ही विभाग को समर्पित करेंगे।

14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

17. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

विश्वासभाजन,

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024...../राँची, दिनांक-..... 29/01/2026

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024.....<sup>229/2024</sup>राँची, दिनांक-.....<sup>29/01/2026</sup>

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, रूसा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, रूसा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




28.11.26  
(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।



(राम सूचित कुमार)  
प्रशाखा पदाधिकारी

(सुधीर कुमार)  
अवर सचिव निदेशक,



(सुधीर बाड़ा)  
उच्च शिक्षा

